

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 18.07.2022

एक ही जमीन को दो बार बेचकर धोखाधड़ी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में नरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक खोराबार पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 121/22 धारा 419, 420 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बलिराम निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 18.07.2022 को समय 11:35 बजे जगदीशपुर बाजार से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना व पृष्ठताछ विवरण:-

अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 20.11.2021 को अपनी जमीन बेची गयी तथा पुनः उसी जमीन को दिनांक 01/12/2021 को वादिनी मुकदमा को बेच दिया। जिसके संबंध में वादिनी मुकदमा विन्ध्यवासिनी देवी पत्नी प्रह्लाद मौर्या निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर द्वारा थाना खोराबार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। मुकदमें से संबन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त फरार चल रहा था जिसे आज गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बलिराम निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 121/22 धारा 419, 420 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय

स्थान- जगदीशपुर बाजार थाना खोराबार / दिनांक- 18.07.2022 को समय- 11.35 बजे

गिरफ्तारी की टीम

1. उ0नि0 आशुतोष कुमार राय, चौकी प्रभारी जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 अरुण कुमार यादव, चौकी जगदीशपुर, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर
3. का0 मनीष राजभर, चौकी जगदीशपुर, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर